

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में होम आईसोलेट व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र

मैं पिता/पति उम्र पुरुष/महिला

पता

..... मोबाइल नं..... यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मैं होम आईसोलेशन हेतु शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। होम आईसोलेट हेतु हाथ की अंगुली में लगाई जाने वाली अमिट स्याही मेरे अंगुली में लगा दी गई है। मैं अगले चौदह दिवस तक अपने घर से बाहर नहीं जाऊँगा/जाऊँगी तथा न मैं किसी से मिलूँगा/मिलूँगी एवं न ही कोई अन्य व्यक्ति मुझसे मिलेगा/मिलेगी। मुझे छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की प्रति (CG Covid-19 Guideline 3) प्राप्त हुई है, जिसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा / करूँगी।

मैं शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि होम आईसोलेट के निर्धारित अवधि में मेरे लिए पृथक कमरा एवं पृथक बाथरूम उपलब्ध है, जिसका उपयोग केवल मेरे द्वारा ही किया जाएगा, मेरे खाने पीने के लिए बर्तनों की पृथक से व्यवस्था रहेगी। मैं परिवार के अन्य सदस्यों के निकट संपर्क में नहीं आऊँगा/आऊँगी तथा बुजुर्ग व्यक्ति गर्भवती महिला एवं बच्चों से विशेष तौर पर दूरी बनाए रखूँगा/रखूँगी। मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को सर्दी, खांसी, बुखार या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होने पर मैं एवं मेरे परिवार के सदस्य तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग को देंगे एवं संबंधित थाने को गारन्टर के हस्ताक्षर के पश्चात सूचना की एक प्रति तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा किए जाने वाले उपयोग से उत्सर्जित बायो मेडिकल कचरा, खाद्य अपशिष्ट या अन्य अपशिष्ट को पृथक से प्लास्टिक बैग में एकत्र कर उसे नगर निगम द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को ही उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी।

मैं शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मुझे होम आईसोलेट संबंधी नियमों की पूर्ण जानकारी ज्ञात है तथा यह भी ज्ञात है कि नियमों/शर्तों के उल्लंघन पर मेरे विरुद्ध होम क्वारेंटाइन निरस्त करते हुए मुझे संस्थागत अथवा पेड़ क्वारेंटाइन में शिफ्ट कर दिया जावेगा इसके अतिरिक्त आई.पी.सी. की धारा 188 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम एवं एपीडेमिक एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है, जिसका मैं भागीदार रहूँगा/रहूँगी, अतः मैं नियमों एवं शर्तों के पूर्ण रूप से पालन के लिए वचन देता/ देती हूँ।

गारन्टर-(परिवार के सदस्य या पड़ोसी)

1. नाम हस्ताक्षर

नाम

मोबाइल नम्बर

हस्ताक्षर

2. नाम हस्ताक्षर

दिनांक.....

मोबाइल नम्बर

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में

होम आईसोलेट व्यक्ति

को बाहर जाने की सशर्त अनुमति

होम आईसोलेट व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों को केवल ठोस मेडिकल आधार पर ही बाहर जाने की सशर्त अनुमति दी जाएगी। संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इस हेतु लिखित में अपना आवेदन पत्र देना होगा तथा सक्षम अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही वह घर/शहर से बाहर जा सकेगा। अनुमति हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

1. संबंधित जोन कमिशनर – नगर पालिक निगम, कोरबा

1. श्री आर.के. भोजासिया –	कोरबा जोन	मोबा.नम्बर –	8269898918
2. श्री आर.के. चौबे –	टी.पी.नगर जोन	मोबा.नम्बर –	9425532119
3. श्री ए.के.शर्मा –	कोसाबाड़ी जोन	मोबा.नम्बर –	7773007189
4. श्री ए.के. शर्मा –	पं.रविशंकर शुक्ल जोन	मोबा.नम्बर –	7773007189
5. श्री ग्यास अहमद –	बालको जोन	मोबा.नम्बर –	7773007188
6. श्री एम.एन.सरकार –	दर्दी जोन	मोबा.नम्बर –	7773007177
7. श्री एम.के. वर्मा –	बांकीमोंगरा जोन	मोबा.नम्बर –	9752094116
8. श्री भूषण उरांव –	सर्वमंगला जोन	मोबा.नम्बर –	9752094139
2. श्री सुरेश साहू –	तहसीलदार, कोरबा	मोबा.नम्बर –	7587030552
3. श्री सुनील नायक –	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा	मोबा.नम्बर –	9926970500
4. श्री एस.जयवर्धन –	आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा	मोबा.नम्बर –	8297948681

नाम

हस्ताक्षर

दिनांक.....

होम आईसोलेशन हेतु आवश्यक जानकारी

स्वारथगत जानकारी

नाम :—
हस्ताक्षर
दिनांक :

नोबल कोरेना वायरस संक्रमण के संदर्भ में होम आईसोलेशन हेतु आवश्यक जानकारी

बोसिक जानकारी

क्रमांक	प्रक्रिया का नाम	विवरण	मात्रा/प्रति मात्रा	अनुमान	उपयोग के लिए
१	होम आहसनेट च्यान	वार्षिक संकेतक आनंद का दिनांक जितने से आप संस्कारण व शिल्प का नाम दीम आहसनेट	होम आहसनेट वाले दिनांक में प्रधान संस्कारों के दिन दीम आहसनेट का नाम दिया जाता	२५००	प्राचीन प्रथा
२	संदर्भ बांधी	परिवार में कठोर गर्भवती महिला के संदर्भ में बोला जाता है। इसका अर्थ है कि यह विद्युत से पोषित है यानि विद्युत के बोलाए के समान है।	गर्भवती बोला जाता	१	परिवार में कठोर गर्भवती महिला के संदर्भ में बोला जाता
३	गर्भवती बांधी	या नहीं यदि कठोर गर्भवती महिला के संदर्भ में बोला जाता है। इसका अर्थ है कि यह विद्युत से पोषित नहीं है।	गर्भवती बोला जाता	१	या नहीं यदि कठोर गर्भवती महिला के संदर्भ में बोला जाता

二

卷之三

१८

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के संदर्भ में होम आईसोलेशन हेतु आवश्यक जानकारी कांटेक्ट हिस्ट्री

पिछले 15 दिनों से वह जिन-जिन व्यक्तियों से मिला उनका विवरण

नाम :-

हस्ताक्षर :-

दिनांक :-